राज्य स्तरीय सलाहकार मण्डल/ जिला स्तरीय सलाहकार समितियां एवं जिला योजना समितियां

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 12-7-99

क्रमांक एफ-23-12/97/25/4--इस विभाग के अधीन राज्य अनुसूचित जाति सलाहकार मण्डल के गठन/पुनर्गठन संबंधी पूर्व आदेशों को निरस्त करते हुए राज्य शासन द्वारा अब राज्य अनुसूचित जाति सलाहकार मण्डल का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:--

1.	मा. श्री दिग्विजय सिंह, मुख्य मंत्री, म. प्र.	अध्यक्ष
2.	श्री धनेश पटिला, मंत्री, अनु. जा. क. डेयरी विकास एवं जेल, म. प्र.	उपाध्यक्ष
3.	श्री सुरेश चौधरी, विधायक	सदस्य
4.	श्री चैनसिंह सामले, विधायक	सदस्य
5.	डॉ. रामलाल भारद्वाज, विधायक	सदस्य
6.	श्री रघुवीर सिंह, विधायक	सदस्य
7.	श्री गोपीलाल जाटव, विधायक	सदस्य
8.	श्री मुंशीलाल, विधायक	सदस्य
9.	श्री डी. पी. धृतलहरे,विधायक	सदस्य
10.	श्री रामलाल मालवीय,विधायक	सदस्य
11.	श्री रामचरित,विधायक	सदस्य
12.	श्री के. के. मालवीय,विधायक	सदस्य
13.	श्री मदन सिंह डेहरिया,विधायक	सदस्य
14.	श्री लीलाधर डेरिया,विधायक	सदस्य
15.	श्री रणजीत सिंह गुणवान,विधायक	सदस्य
16.	श्री दाऊराम रत्नाकर,विधायक	सदस्य
17.	श्री रेशमलाल जांगड़े, पूर्व सांसद	सदस्य
18.	श्री राधाकिशन मालवीय, सांसद	सदस्य
19.	श्री चैनदास बांथव, भिलाई	सदस्य
20.	डॉ. हीरामन बंजारे, रायपुर	सदस्य
21.	श्रीमती प्रभा बीते, पूर्व उपाध्यक्ष, म. प्र. अनु. जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल	सदस्या
22.	प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
23.	प्रमुख सचिव, अनु. जाति कल्याण विभाग	सदस्य
24.	आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास	सदस्य/सचिव
25.	पुलिस महानिर्देशक, म. प्र.	सदस्य
26.	प्रबंध संचालक, म. प्र. अनु. जा. वि. एवं वि. निगम	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
(व्ही. के. सिंह)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम. जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.

पृ. क्र. एफ 23-12/97/25/4 भोपाल, दिनांक 12-7-99

प्रतिलिपि:--

1. राज्य अनुसूचित जाति के समस्त सदस्य
2. शासन के समस्त विभाग
3. समस्त आयुक्त, म. प्र.
4. समस्त विभागाध्यक्ष, म. प्र.
5. समस्त जिलाध्यक्ष, म. प्र.
6. आयुक्त/अनुसूचित जाति विकास/आदिवासी विकास, म. प्र.
7. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, म. प्र. भोपाल.
8. संचालक, आदिम जाति अनुसंधान संस्थान, म. प्र. भोपाल.
9. जनसंपर्क अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल.
10. नियंत्रक, केन्द्रीय शासकीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ.
11. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.
12. सचिव, म. प्र. विधान सभा, भोपाल.
13. सचिव मा. मुख्य मंत्रीजी, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल.
14. मंत्री/राज्य मंत्री अनुसूचित जाति/आदिम जाति कल्याण, म. प्र. भोपाल.
15. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य अनुसूचित जाति आयोग, चित्तोड़ काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल.
16. आयुक्त अनु. जाति/जनजाति भारत सरकार, आर. के. पुरम, नई दिल्ली.
17. क्षेत्रीय निदेशक, अनुसूचित जाति आयुक्त कार्यालय (भारत सरकार) भोपाल.

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति एवं हरिजन कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 1972

संकल्प

क्रमांक 11233/25/2/72 इस विभाग के आज दिनांक संकल्प क्रमांक 3155/10/13/25 टीडब्ल्यू/57 दिनांक 17 मई, 1958 को निरस्त करते हुए राज्य शासन ने हरिजन कल्याण संबंधी समस्त विषयों पर विधायकों एवं हरिजन कल्याण में रुचि रखने वाले कार्यकर्त्ताओं का परामर्श प्राप्त करने हेतु हरिजन कल्याण सलाहकार मण्डल गठन करने का निर्णय लिया है.

2. **गठन**:--

मण्डल में मंत्री, हरिजन कल्याण सहित 25 सदस्य रहेंगे. मंत्री, हरिजन कल्याण इसके अध्यक्ष होंगे. सदस्यों में से 14 हरिजन विधायक 10 शासकीय एवं अशासकीय सदस्य होंगे.

3. **बैठक**:--

मण्डल की प्रति वर्ष कम से कम 2 बैठकें होंगी, बैठकों के लिए कोई निर्धारित गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी.

4. **सचिव**:--

संचालक, आदिम जाति कल्याण मण्डल के सचिव होंगे.

5. **स्थाई समिति**:--(1)

अध्यक्ष द्वारा 10 सदस्यों की एक स्थाई समिति मनोनीत की जावेगी. आवश्यकतानुसार यह समिति अधिकारियों को सहयोग करेगी. संचालक, आदिमजाति कल्याण इस स्थाई समिति के भी सचिव होंगे.

कार्यक्षेत्र:--(2)

हरिजन कल्याण संबंधी समस्त विषय स्थाई समिति के कार्यक्षेत्र में आएंगे.

6. **कार्यकाल**:--

मण्डल तथा स्थाई समिति का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा विधानसभा के विघटन जो भी पूर्व हो, रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ता./-

(द. गो. भावे)
विशेष सचिव
मध्यप्रदेश शासन

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ता./-

(द. गो. भावे)
विशेष सचिव.

मध्य प्रदेश शासन,

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ–23–41/10/3/25

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त, 1996

आदेश

विषय:-- जिला स्तर पर अनुसूचित जाति सलाहकार समितियों का गठन.

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी जिलों में विशेष घटक योजना के जिला स्तर पर नियोजन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की सक्षम व्यवस्था हेतु अनुसूचित जाति सलाहकार समितियों का गठन किया जाए. तदनुसार एतद्द्वारा निम्नानुसार इस समिति का गठन किया जाता है:--

1. अध्यक्ष- जिलों के अनुसूचित जाति विधायक, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य में से कोई एक जिसे शासन (आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग) द्वारा मनोनीत किया जाए.

2. सदस्य-
   - (क) जिलों में अनुसूचित जाति के समस्त सांसद एवं विधायक (अध्यक्ष मनोनीत किए जाने की स्थिति में संबंधित विधायक को छोड़कर)
   - (ख) जिला पंचायत के अध्यक्ष.
   - (ग) जिला पंचायत के 2 अनुसूचित जाति के सदस्य जिनमें से एक महिला हो.
   - (घ) कलेक्टर
   - (ङ) क्षेत्र में कार्यरत दो लब्ध प्रतिष्ठित अशासकीय संस्थाओं के अध्यक्ष जो अनुसूचित जाति के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हों अथवा दो प्रतिष्ठित समाजसेवी, जो अनुसूचित जाति के सदस्य हों.
   - (च) जिले के समस्त नगरीय निकायों के अध्यक्ष.
   - (छ) व्यवस्थापक, स्थानीय लीड बैंक.
   - (ज) अनुसूचित जाति के विकास कार्यक्रमों के विशेषज्ञ.
   - (झ) अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी बैंक.
   - (ध) अध्यक्ष, सहकारी भूमि विकास बैंक.

3. सदस्य-सचिव- सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिमजाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.

4. बैठक- अनुसूचित जाति सलाहकार समिति की बैठक 3 माह में एक वार अथवा जब भी आवश्यकता होगी, बुलाई जा सकेगी.

5. कार्य-
   - (क) अनुसूचित जाति विकास हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप वार्षिक और पंचवर्षीय योजना तैयार करना.
   - (ख) विशेष घटक योजना के अंतर्गत जिले के लिये निर्धारित आयोजना शिखर सीमा के अंतर्गत रहते हुए जिले की अनुसूचित जातियों के विकास संकेतकों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जावेगी.
   - (ग) उक्त योजना को जिला योजना में समेकित करने हेतु जिला योजना समिति की अनुसूचित जाति उप समिति को प्रेषित किया जायेगा.

मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति सलाहकार मण्डल का पुनर्गठन किया गया है सदस्य होने के नाते हमारा कर्त्तव्य बनता है कि अनुसूचित जाति वर्ग विकास में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत है--

(1) अनुसूचित जाति सलाहकार समिति की बैठक प्रत्येक जिला या संभाग में आयोजित किया जाना चाहिये इसके लिए प्रत्येक सदस्यों को अपने जिले में बैठक आयोजित होने के पूर्व

उन जिलों या संभाग में इस वर्ग के समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उनके समस्याओं का त्वरित निदान किया जावे तथा प्रत्येक माह अनिवार्यत: इस समिति की बैठक आयोजित किया जाना चाहिये.

(2) अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के पास कम से कम 5 एकड़ कृषि भूमि अनिवार्यत: प्रदान किया जावे. अनुसूचित जाति के व्यक्ति मूलत: कृषि पर आधारित हैं उनका मुख्य कार्य कृषि मजदूरी कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करना होता है इन व्यक्तियों के पास कृषि भूमि नहीं होने के कारण तथा रोजी मजदूरी नहीं मिलने के कारण ये लोग भूखों मरते हैं या फिर मजदूरी की तलाश में पलायन करते हैं.

इसलिए इन लोगों के गरीब परिवारों को कम से कम 5 एकड़ कृषि भूमि शासन द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे कृषि कार्य कर सकें तथा उक्त भूमि के बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबन्ध हो.

(घ) यद्यपि नियोजन की यह प्रक्रिया पूर्ण, रूप से नवीं पंचवर्षी, योजनाकाल से प्रभावशील होगी, तथापि वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी विशेष घटक योजना के अंतर्गत निरंतर योजनाओं के प्रति शासन की वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल पुनर्नियोजन के प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर सकेंगे.

(ङ) विशेष घटक योजना के तहत सभी योजनाओं का मूल्यांकन और अनुश्रवण करना.

5. अधिकार– जिले के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत आवंटित राशि के अंतर्गत हितग्राही मूलक एवं स्थानीय निकाय कार्यों की स्वीकृति के अधिकार अनुसूचित जाति सलाहकार समिति को होंगे. स्थानीय विकास कार्यों में प्राथमिकता उन ग्रामों को देना होगा जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या पचास प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो. इन ग्रामों में समस्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करने के उपरांत ही ऐसे अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों में स्थानीय विकास कार्य लेने पर विचार किया जा सकेगा, जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या पचास प्रतिशत से कम हो. इसमें भी श्रेणियां निर्धारित कर प्राथमिकता तय की जायेगी, यथा पहले 25 से 50 प्रतिशत जनसंख्या वाले गांव, फिर 15 से 25 प्रतिशत वाले गांव और फिर अनुसूचित जाति की उससे कम प्रतिशत वाले गांव लिए जायेंगे.

(अजय सिंह यादव)
विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक/एफ- 23--41/96/3/25

भोपाल, दिनांक

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषयः-- जिला स्तर पर अनुसूचित जाति सलाहकार समितियों के गठन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने विशेषक.

विषयांतर्गत इस विभाग के समतंव्यक आदेश दिनांक 12-8-96 का कृपया अवलोकन करें. जिसमें पृष्ठांकन के सरल क्रमांक-9 के संबंध में आदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया क्षेत्र में कार्यरत 2 लब्ध प्रतिष्ठित अशासकीय संस्थाओं के अध्यक्ष दो समाज सेवियों के नाम ''इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के विकास कार्यक्रमों के दो विशेषज्ञ तथा अध्यक्ष पद पर नामांकन हेतु अनुसूचित जाति के विधायक, जिला पंचायत के सदस्य अथवा जनपद पंचायत के सदस्य आदि के नाम निम्न जानकारी के तालमेल के साथ प्रस्ताव तैयार कर ''इस विभाग को संचालक, अनुसूचित जाति विकास, राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स भोपाल के माध्यम से तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चय करने का कष्ट करें'':--

1. पूर्व नाम
2. पिता का नाम/पति का नाम
3. पूर्ण पता तहसील, पोस्ट आफिस आदि सहित
4. व्यवसाय
5. शिक्षा
6. विशिष्टता
7. विशेष दक्षता
8. रूचि
9. अनुभव

(डॉ. आर. एस. श्रीवास्तव)
उप सचिव, म. प्र. शासन,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.

आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 26-10-1999

क्रमांक/एफ-23-51/97/25-4- जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सलाहकार समिति का गठन संबंधी इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक/एफ-23-41/96/3/25 दिनांक 12-8-96 एवं समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेश एतद्द्वारा निरस्त करते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश में विशेष घटक योजनान्तर्गत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के नियोजन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का दायित्व जिला योजना समिति अधिनियम 1995 की धारा 9 (2) (दो) के अंतर्गत गठित जिला योजना समिति की उस समिति को सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(व्ही. के. सिंह)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.

आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय

संशोधन-पत्र

भोपाल, दिनांक 2-2-2000

क्रमांक/एफ-23-51/97/25-4- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26-10-99 को पंचम पंक्ति में अंकित ''योजनाओं के नियोजन'' के पश्चात् ''योजनाओं की स्वीकृति'' प्रतिस्थापित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(व्ही. के. सिंह)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन भोपाल, 462004.

क्रमांक/एफ-11-10/2000/1/9

भोपाल, दिनांक 14 मार्च, 2000

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषयः-- जिला योजना समिति द्वारा विभागवार समीक्षा करने बावत.

संदर्भः-- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक डी 201/274/व्ही. आई. पी./99/1/9 दिनांक 21-1-2000.

जिला सरकार प्रणाली के अंतर्गत जिला योजना समिति के कामकाज के संचालन की प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं कि जिला योजना समिति की बैठक निश्चित रूप से प्रतिमाह रखी जानी चाहिये.

राज्य शासन की मंशा है कि विभागीय कार्यक्षमता बढ़ाने, कार्यों का मूल्यांकन एवं संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला योजना समितियां प्रतिमाह अनिवार्य रूप से कम से एक विभाग की विस्तृत समीक्षा करें. समीक्षा उपरांत टीप प्रभारी सचिव एवं संबंधित विभाग को भेजी जाये ताकि समीक्षा के दौरान प्राप्त सुझाव पर विभाग द्वारा समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही की जा सके.

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये.

(हीरालाल त्रिवेदी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन भोपाल, 462004.

क्रमांक/एफ-11-10/2000/1/9

भोपाल, दिनांक 14 मार्च, 2000

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषयः-- जिला योजना समिति द्वारा विभागवार समीक्षा करने बावत.

संदर्भः-- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक डी 201/274/व्ही. आई. पी./99/1/9 दिनांक 21-1-2000.

जिला सरकार प्रणाली के अंतर्गत जिला योजना समिति के कामकाज के संचालन की प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं कि जिला योजना समिति की बैठक निश्चित रूप से प्रतिमाह रखी जानी चाहिये.

राज्य शासन की मंशा है कि विभागीय कार्यक्षमता बढ़ाने, कार्यों का मूल्यांकन एवं संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला योजना समितियां प्रतिमाह अनिवार्य रूप से कम से एक विभाग की विस्तृत समीक्षा करें. समीक्षा उपरांत टीप प्रभारी सचिव एवं संबंधित विभाग को भेजी जाये ताकि समीक्षा के दौरान प्राप्त सुझाव पर विभाग द्वारा समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही की जा सके.

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये.

(हीरालाल त्रिवेदी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.